

पीड़ित पक्ष/वारिसान का चिन्हिकरण शेष है कि सूचना
(उस बंदी का नाम ही प्रविष्ट करना है, जिनसे संबंधित पीड़ित पक्ष/वारिसान का चिन्हिकरण नहीं हुआ
है उस बंदी को कभी भी भुगतान नहीं हुआ है एवं सूचना तैयार करने की तिथि तक उस बंदी का
भुगतान पेडिंग है)

| कारागृह का नाम | बंदी का नाम व वल्दियत | पुलिस थाना | जिला | एफ.आई आर नम्बर | अन्तर्गत धारा | पीड़ित पक्ष को संभावित देय राशि |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| केन्द्रीय कारागृह जोधपुर | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |